163

क्रमांक 12/44/88-2 जी. एस.-I

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

1. सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त अम्बाला तथा हिसार मण्डल, सभी उपायुक्त तथा उप मण्डल अधिकारी, हरियाणा ।

2. रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट तथा सभी जिला तथा सड़ न्यायाधीश, हरियाणा ।

दिनांक, चण्डीगढ़ 7-2-1989 ।

विषय :-तकनीकी/मेडीकल संस्थाओं तथा राज्य सरकार की सेवा में उच्च खिलाड़ियों के लिए स्थानारक्षण ।

महोदय,

मुझे निदेश हुआ है कि मैं आपका ध्यान उपरोक्त विषय पर हरियाणा सरकार के परिपत्र क्रमा 5441-2 जी. एस.-1-72/28901, दिनांक 18-10-1972 की ओर दिलाऊं और सूचित करूं कि उच्च कोटि के खिलाड़ि को खेल ग्रेडेशन प्रमाण पत्र सम्बन्धी मामले पर सरकार द्वारा विचार किया गया है और यह निर्णय लिया गया है कि बदल हुई परिस्थितियों में उक्त पत्र दिनांक 18-10-1972 का पैरा 3 निम्नप्रकार से प्रति स्थापित कर दिया जाये :-

2. "3" सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अच्छे तथा मध्यम दर्जे के खिलाड़ियों में कुछ अन्तर डाल के लिए ए.बी.सी. तथा डी. दर्जे के प्रमाण पत्रों में अधिक ग्रेड बनाए जाएं और ऐसा करने के लिए परिपत्र जिसका हवा ऊपर दिया गया है, के पैरा 3 में खिलाड़ियों के लिए निर्धारित ग्रेडों में निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित कर दिया जाये :-

"ए" ग्रेड

(क) "ए"-1

इस श्रेणी में वे खिलाड़ी रखे जायें, जो देश का अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिकस, एशियन खेलों, कामन वैल्थ खेलों में त अन्य अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त क्रिकेट टैस्ट मैचों में प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको भी इसी श्रेणी में रखा जाये ।

"ए"-2

इस श्रेणी में राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समुदाय से मान्यता प्राप्त खेलों में मैत्रिक टैस्ट जिसमें कम से क चार या पांच देशों की टीमें भाग लेवे के खिलाड़ियों को ही ए-2 श्रेणी का खेल प्रमाण-पत्र दिया जाए ।

(ख) "बी" ग्रेड

"बी"-1

राष्ट्रीय तथा अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को ही बी-1 श्रेणी का खेल प्रमा पत्र दिया जावे ।

बी-2

जो खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेलों के विभागीय टूर्नामैंट तथा अन्य सीमित संस्थाई टूर्नामैं में भाग लेता है को बी–2 ग्रेड का प्रमाण–पत्र दिया जाये जैसे अखिल भारतीय तार व डाक विभाग टूर्नामैंट अन्तर सेवा टूर्नामैंट ग्रामीण पंचायत टूर्नामैंट इत्यादि ।

164

(ग) सी–ग्रेड

"सी"–1

जो खिलाड़ी राज्य स्तर के स्कूलों, विश्वविद्यालयों के अधीन कालेजों के मान्यता प्राप्त टूर्नामैंट तथा अन्तर प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं तथा प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करते हैं, उनको सी–I ग्रेड का प्र पत्र दिया जाए ।

"सी"–2

जो खिलाड़ी "सी–1" ग्रेड के अधीन वर्णित प्रतियोगिताओं में सैमी फाईनल स्तर तक टीम के साथ नहीं ख अथवा इन्डीविजुअल इवैंट में कोई स्थान प्राप्त नहीं करते उनको "सी–2" ग्रेड प्रमाण पत्र दिया जाये ।

(घ) "डी"

"डी" ग्रेड प्रमाण–पत्र क्रिकेट को छोड़कर अन्य खेलों में केवल उन्हीं खिलाड़ियों को दिया जाये जो खेलें हरिय ओलिम्पिक समुदाय, भारतीय ओलिम्पिक समुदाय से मान्यताप्राप्त नहीं हैं ।

3. कृपया इन हिदायतों को आपके अधीन काम कर रहे सभी कर्मचारियों/अधिकारियों के नोटिस में ला जाये तथा इनकी दृढ़ता से पालना की जाए ।

भवदीय

हस्ता/-
अधीक्षक सामान्य सेवायें–I,
कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

———